

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in, Website: socialauditup.in

पत्रांक: 517 / सो.आ.नि.- 318(I) / 2014

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- सोशल आडिट टीमों के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में शासनादेश संख्या 1496 / 38-7-2014-200 नरेगा / 2009, दिनांक 21.07.2014 तथा तत्क्रम में समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित निदेशालय के पत्र 477, दिनांक 25.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु चयन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवेदन पत्रों हेतु विज्ञप्ति विभिन्न प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्रों में माह दिसम्बर, 2014 के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो चुकी है। जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2015 निर्धारित की गई है। टीमों के चयन के संबंध में आप द्वारा निम्नांकित प्रस्तारों में उल्लिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

2. सोशल आडिट टीमों के गठन की प्रक्रिया को समझने के उद्देश्य से सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति की शर्तें, जो निम्नवत हैं, का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए:

1. ग्राम पंचायतों में निर्दिष्ट योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों का सोशल आडिट करने हेतु ब्लाक स्तर पर सोशल आडिट टीमों के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. प्रत्येक पाँच सदस्यीय टीम में (i) सामान्य वर्ग, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) अनुसूचित जाति/जनजाति, (iv) महिला एवं (v) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री -प्रत्येक श्रेणी से एक-एक सदस्य होंगे।
3. **शैक्षिक अर्हता:-** हाईस्कूल उत्तीर्ण/हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
4. **निवास:-** सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
5. **आयु:-** 01 अप्रैल, 2015 को 18 से 62 वर्ष के मध्य।
6. सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए नामित किए जाएंगे।
7. सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट रु0 500/- मानदेय के रूप में अनुमन्य होगा।

3. टीम के सदस्य हेतु आवेदन पत्र निम्नांकित प्रारूप पर दिया जाएगा।

“सोशल आडिट टीम का सदस्य” हेतु आवेदन पत्र	
1- विकास खण्ड का नाम :.....	2- जनपद :.....
3- अभ्यर्थी का नाम :.....	4- पिता/पति का नाम :.....
5- जन्मतिथि :.....	6- शैक्षिक अर्हता :.....
7- श्रेणी (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री):.....	
8- निवास का पता :.....	
9- मोबाइल नं0:.....	
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....	
दिनांक.....	

जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि : 07 जनवरी, 2015 को कार्यालय समय तक निर्धारित है।

4. आवेदन पत्र के उपर्युक्त प्रारूप के अनुसार पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र स्थानीय स्तर पर जिला विकास अधिकारी द्वारा कन्टीजेन्सी/स्टेशनरी व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से छपवा लिया जाना चाहिए तथा इसका वितरण खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रार्थना पत्र देने के इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5. प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम पंचायतों पर एक '5 सदस्यीय सोशल आडिट टीम' का गठन किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी विकास खण्ड में 61-70 के बीच ग्राम पंचायतें हों तो उस विकास खण्ड में 7 टीमों का गठन किया जाना अपेक्षित होगा, किन्तु यदि ग्राम पंचायतों की संख्या 59 हो तो 6 टीमों का ही गठन किया जाएगा।

उक्तवत 10 ग्राम पंचायतों पर 1 टीम के गठन के अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, जाबकार्डधारक श्रमिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री- सभी वर्गों से 2-2 व्यक्तियों को रिजर्व सूची में रखा जाएगा ताकि गठित टीमों में से यदि किसी वर्ग के चयनित अभ्यर्थी सोशल आडिट हेतु उपस्थिति नहीं होता है तो उसके स्थान की पूर्ति इस रिजर्व सूची से की जा सके। सोशल आडिट टीम के सदस्यों के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण है, किन्तु यदि किसी वर्ग के हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो विशेष परिस्थितियों में चयन समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

6. **टीम के गठन हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना:-** टीमों के गठन के संबंध में ग्राम पंचायतों में व्यापक जन सम्पर्क के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन में सोशल आडिट के प्रति जागरूकता बढ़े और अधिक से अधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों से सोशल आडिट टीम के सदस्य के रूप में चयन हेतु आवेदन प्राप्त हो सकें। ग्राम पंचायतों में स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कार्यों में सक्रिय, गत वर्षों में टीम के सदस्य के रूप में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा भारत निर्माण वालंटियर्स (B.N.V.) में प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवकों एवं जाबकार्डधारक श्रमिक के पुत्र/पुत्री को, जो कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण हो, को टीम के सदस्य के रूप में चयन हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उन्हें चयन में वरीयता दी जानी चाहिए। पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त हों इस हेतु खण्ड विकास अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

7. चयन समिति: टीम के सदस्यों के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत होगा:-

- | | |
|---|------------|
| (क) जिला विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| (ख) जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी कालेज/
प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (ग) जिला सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर अथवा
उसकी अनुपस्थिति में जिला विकास अधिकारी
द्वारा नामित अन्य पदधारक | सदस्य सचिव |

8. चयन प्रक्रिया:- वर्ष 2015-16 के लिए टीमों के गठन हेतु दिनांक 07.01.2015 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में विकास खण्डवार रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा और उनका परीक्षण कर पात्र आवेदकों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया 07.02.2015 तक पूर्ण कर ली जानी है ताकि फरवरी-मार्च, 2015 में टीमों के सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके।

9. टीम के सदस्यों की कार्यावधि:- टीम के सदस्यों को वर्ष 2015-16 के लिए चयनित किया जाएगा और उनकी कार्यावधि 31 मार्च, 2016 को स्वतः समाप्त हो जाएगी।

10. मानदेय:- प्रत्येक ग्राम पंचायत के सोशल आडिट के सम्यक् रूप से सम्पन्न होने पर टीम के प्रत्येक सदस्य को निर्धारित दरों पर मानदेय का भुगतान अनुमन्य होगा। वर्तमान में यह दर रु0 500/- प्रति सोशल आडिट प्रति सदस्य है।

11. कर्तव्य एवं दायित्व :-


निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में योजनाओं के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना, जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है :-

- (1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों के अनुसार किए गए भुगतान का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।
- (2) योजना के अर्न्तगत कराए गए कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।
- (3) रोकड़ बही, बैंक विवरण, बिलों, बाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण का शुद्धता का सत्यापन करना।
- (4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल बाउचर्स या अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।
- (5) कार्यक्रम के लिए प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।
- (6) परिसम्पत्तियों (व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर किए गए कार्यों सहित) की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता एवं परिसम्पत्तियों की उपयोगिता के बारे में लाभार्थियों की संतुष्टि का आंकलन करना।
- (7) निर्धारित प्रारूप पर सभी जॉबकार्ड धारकों को दी गई धनराशि के ब्यौरेवाल पेंटिंग में दर्शाए जाने की स्थिति एवं उसमें दिए गए विवरणों की ब्लाक तथा पंचायत स्तर पर रखे अभिलेखों से मिलान कर टिप्पणी करना।
- (8) सोशल आडिट करते हुए सोशल आडिट प्रश्नावली पर वस्तुस्थिति का उल्लेख करना तथा सोशल आडिट ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार करना।
- (9) सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

अनुरोध है कि कृपया तदनुसार सोशल आडिट टीमों के चयन की कार्यवाही संपन्न कराने हेतु जिला विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,


(शंकर सिंह)
निदेशक।

पत्रांक:-517/सो0आ0नि0-318(I)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।


(शंकर सिंह)
निदेशक।

“सोशल आडिट टीम का सदस्य” हेतु आवेदन पत्र

- 1- जनपद :.....
- 2- विकास खण्ड का नाम :.....
- 3- अभ्यर्थी का नाम :.....
- 4- पिता/पति का नाम :.....
- 5- जन्मतिथि :.....
- 6- शैक्षिक अर्हता :.....
- 7- श्रेणी:.....
- 8- निवास का पता :.....
.....
- 9- मो०नं०:.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी :

- प्रत्येक पाँच सदस्यीय टीम में (i) सामान्य वर्ग, (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग, (iii) अनुसूचित जाति/जनजाति, (iv) महिला एवं (v) जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री -प्रत्येक श्रेणी से एक-एक सदस्य होंगे।
 - सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए नामित किए जाएंगे।
 - सदस्य के रूप में चयन हेतु आवेदन पत्र अभ्यर्थी के जनपद के जिला विकास अधिकारी कार्यालय में दिया जा सकता है।
 - सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट रु० 500/- मानदेय के रूप में अनुमन्य होगा।
1. **शैक्षिक अर्हता:-** हाईस्कूल उत्तीर्ण, हाईस्कूल पास अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
 2. **निवास:-** सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
 3. **आयु:-** 01 अप्रैल, 2015 को 18 से 62 वर्ष के मध्य।
जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि : 07 जनवरी, 2015